

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक-126 दिनांक 29-06-17 के आलोक में निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) की विविधि सुसंगत धाराओं के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु श्री बलराम सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को उद्योग विभाग का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

3स0/उ0स्था0(विविध नि0व0अ0अ0-2016)24/2017

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- राज्य आयुक्त निःशक्तता(पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना) को उनके पत्रांक-126 दिनांक 29-06-17 के प्रसंग में/श्री बलराम सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को राज्य आयुक्त निःशक्तता का पत्रांक-126 दिनांक 29-06-17 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 3201

पटना, दिनांक:- 26-07-17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

राकेश/26-07-17